भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 1306

उत्तर देने की तारीखः 03.12.2024

नशा मुक्ति केंद्र

1306. श्री अरुण कुमार सागरः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में मादक पदार्थों के उपभोग की समस्या किस हद तक विद्यमान है;

(ख) उक्त मुद्दे से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) देश में, विशेषकर पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में, राज्य-वार कितने नशा मुक्ति केन्द्र स्थापित किए गए हैं; और

(घ) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उक्त केन्द्रों को आवंटित धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क): मंत्रालय द्वारा एनडीडीटीसी, एम्स के माध्यम से वर्ष 2018 में भारत में मादक द्रव्यों के उपयोग की सीमा और पैटर्न पर किए गए राष्ट्रीय सर्वेक्षण के अनुसार, वर्तमान में विभिन्न मनो-सक्रिय पदार्थों का उपयोग करने वाले वयस्कों और बच्चों की व्यापकता (% में) और अनुमानित संख्या निम्नानुसार है:

पदार्थ	बच्चे और किशोर (10-17 वर्ष)		वयस्क (18-75 वर्ष)	
	व्यापकता (% में)	**उपयोगकर्ताओं की अनुमानित संख्या**	**व्यापकता (% में)**	**उपयोगकर्ताओं की अनुमानित संख्या**
भांग	0.90	20,00,000	3.30	2,90,00,000
नशीले पदार्थ	1.80	40,00,000	2.10	1,90,00,000
सेडेटिव्स	0.58	20,00,000	1.21	1,10,00,000
इनहेलेंट	1.17	30,00,000	0.58	60,00,000
कोकीन	0.06	2,00,000	0.11	10,00,000
एटीएस	0.18	4,00,000	0.18	20,00,000
हैलुसिनोजन	0.07	2,00,000	0.13	20,00,000

(ख): ड्रग्स की मांग में कमी की राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीडीडीआर) के तहत ड्रग्स की मांग में कमी के लिए की गई कार्रवाई **अनुबंध-I** में दी गई है।

(ग): एनएडीपीडीडीआर योजना के अंतर्गत स्थापित नशा मुक्ति केंद्रों का राज्यवार ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(घ): पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उक्त केन्द्रों को आवंटित धनराशि का राज्यवार ब्यौरा **अनुबंध-III** पर है।

दिनांक 03.12.2024 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1306 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय देश में नशीली दवाओं की मांग में कमी लाने के लिए नोडल मंत्रालय है। मादक पदार्थों के उपयोग की समस्या से निपटने के लिए, इस विभाग ने ड्रग्स की मांग में कमी की राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीडीडीआर) तैयार की है और इसे लागू कर रहा है, जो एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसके तहत निम्नलिखित को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है:

i. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा निवारक शिक्षा और जागरूकता सृजन, क्षमता निर्माण, नशीली दवाओं की मांग में कमी लाने के लिए कार्यक्रम आदि के लिए राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के प्रशासन।
ii. 'नशे की लत से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए एकीकृत पुनर्वास केन्द्रों (आईआरसीए) के संचालन और रखरखाव के लिए एनजीओ/वीओ, किशोरों में नशीली दवाओं के उपयोग की प्रारंभिक रोकथाम के लिए समुदाय आधारित सहकर्मी नेतृत्व हस्तक्षेप (सीपीएलआई), आउटरीच और ड्रॉप इन केन्द्र (ओडीआईसी) और जिला नशा मुक्ति केन्द्र (डीडीएसी) और
iii. व्यसन उपचार सुविधाओं (एटीएफ) के लिए सरकारी अस्पताल

एनएपीडीडीआर योजना के अंतर्गत निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

i. नशा मुक्त भारत अभियान (एनएमबीए) देश के सभी जिलों में चलाया जा रहा है। अब तक एनएमबीए 4.42 करोड़ युवाओं और 2.71 करोड़ महिलाओं सहित 13.57 करोड़ से अधिक लोगों तक पहुंच चुका है। इस अभियान में 3.85 लाख से अधिक शैक्षणिक संस्थानों ने भी भाग लिया है।

ii. मंत्रालय द्वारा 347 एकीकृत व्यसन पुनर्वास केन्द्रों (आईआरसीए) को सहायता प्रदान की जाती है। ये आईआरसीए न केवल नशीली दवाओं के आदी लोगों के उपचार की व्यवस्था करते हैं, बल्कि निवारक शिक्षा, जागरूकता सृजन, प्रेरक परामर्श, नशामुक्ति, देखभाल और सामाजिक मुख्यधारा में पुनः एकीकरण की सेवाएं भी प्रदान करते हैं।

iii. मंत्रालय द्वारा 46 समुदाय आधारित सहकर्मी नेतृत्व हस्तक्षेप (सीपीएलआई) केन्द्रों को सहायता प्रदान की जाती है। ये सीपीएलआई संवेदनशील और जोखिम में रहने वाले बच्चों और किशोरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसके तहत, सहकर्मी शिक्षक बच्चों को जागरूकता पैदा करने और जीवन कौशल गतिविधियों में शामिल करते हैं।

iv. मंत्रालय द्वारा 74 आउटरीच और ड्रॉप इन सेंटर (ओडीआईसी) को सहायता दी जाती

है। ये ओडीआईसी मादक द्रव्यों के सेवन करने वालों के लिए उपचार और पुनर्वास के लिए सुरक्षित स्थान प्रदान करते हैं, जिसमें स्क्रीनिंग, मूल्यांकन और परामर्श का प्रावधान है और उसके बाद मादक द्रव्यों पर निर्भरता के लिए उपचार और पुनर्वास सेवाओं के लिए रेफरल और और लिंकेज प्रदान किया जाता है।

v. 71 जिला नशामुक्ति केंद्र (डीडीएसी) जो आईआरसीए, ओडीआईसी और सीपीएलआई द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे प्रदान करते हैं।

v. मंत्रालय सरकारी अस्पतालों में 117 व्यसन उपचार सुविधाएं (एटीएफ) स्थापित करने का भी समर्थन कर रहा है।

vi. मंत्रालय द्वारा नशा मुक्ति के लिए एक टोल-फ्री हेल्पलाइन 14446 चलाई जा रही है, ताकि इस हेल्पलाइन के माध्यम से मदद मांगने वाले व्यक्तियों को प्राथमिक परामर्श और तत्काल रेफरल सेवाएं प्रदान की जा सकें।

vii. मंत्रालय अपने स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान (एनआईएसडी) और अन्य सहयोगी एजेंसियों जैसे एससीईआरटी, केन्द्रीय विद्यालय संगठन आदि के माध्यम से छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों आदि सहित सभी हितधारकों के लिए नियमित जागरूकता सृजन और संवेदीकरण सत्र आयोजित करता है।

viii. मंत्रालय ने नवचेतना मॉड्यूल (स्कूली बच्चों के लिए जीवन कौशल और नशीली दवाओं की शिक्षा पर एक नई चेतना) - शिक्षक प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किया है। "नशा मुक्त भारत अभियान" के अंतर्गत, नवचेतना प्रशिक्षण पैकेज का प्रसार और क्रियान्वयन शिक्षकों द्वारा किया जाएगा, जिसका उद्देश्य भारत के स्कूलों में छात्रों के बीच जीवन कौशल और नशीली दवाओं के बारे में जागरूकता और शिक्षा बढ़ाना है।

ix एनएमबीए को समर्थन देने और जन जागरूकता गतिविधियां संचालित करने के लिए आर्ट ऑफ लिविंग, ब्रह्माकुमारीज, संत निरंकारी मिशन, इस्कॉन, श्री राम चंद्र मिशन और अखिल विश्व गायत्री परिवार जैसे आध्यात्मिक संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

अनुबंध-II

दिनांक 03.12.2024 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1306 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

एनएडीपीडीडीआर योजना के अंतर्गत स्थापित नशा मुक्ति केंद्रों का राज्यवार विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	आईआर सीए	ओडीआईसी	सीपीएलआई	डीडीएसी	एटीएफ	एसएलसीए	कुल
1	आंध्र प्रदेश	10	4	4	6	1	1	26
2	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	0
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	4	0	4
4	असम	16	3	3	2	3	1	28
5	बिहार	7	0	0	5	2	1	15
6	चंडीगढ़	0	1	1	0	0	0	2
7	छत्तीसगढ़	2	3	1	0	0	1	7
8	दादरा एवं नागर हवेली	0	0	0	0	0	0	0
9	दमन और दीव	1	0	0	1	0	0	2
10	दिल्ली	8	8	5	0	6	1	28
11	गोवा	0	0	0	0	2	0	2
12	गुजरात	7	3	3	1	5	1	20
13	हरियाणा	9	1	1	0	17	1	29
14	हिमाचल प्रदेश	3	0	1	1	2	1	8
15	जम्मू एवं कश्मीर	1	3	2	5	20	1	32
16	झारखंड	1	0	0	2	2	0	5
17	कर्नाटक	33	0	0	1	0	1	35
18	केरल	16	2	2	0	3	1	24
19	लद्दाख	0	0	0	2	0	0	2
20	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0
21	मध्य प्रदेश	14	7	3	9	6	1	40
22	महाराष्ट्र	44	0	0	5	4	1	54
23	मणिपुर	25	6	2	0	0	1	34
24	मेघालय	1	1	0	0	1	0	3
25	मिजोरम	10	2	0	0	1	1	14
26	नागालैंड	6	1	1	2	1	1	12
27	उड़ीसा	39	5	4	2	0	1	51
28	पुडुचेरी	2	1	0	0	0	0	3
29	पंजाब	7	2	1	0	0	0	10
30	राजस्थान	17	7	4	7	6	0	41
31	सिक्किम	2	0	0	0	1	0	3
32	तमिलनाडु	24	0	0	7	2	1	34
33	तेलंगाना	10	1	0	1	1	1	14
34	त्रिपुरा	0	2	0	0	5	0	7
35	उत्तर प्रदेश	20	9	5	10	19	0	63
36	उत्तराखंड	4	1	1	0	1	1	8
37	पश्चिम बंगाल	8	1	2	2	2	1	16
	कुल	**347**	**74**	**46**	**71**	**117**	**21**	**677**

अनुबंध-III

दिनांक 03.12.2024 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1306 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उक्त केन्द्रों को आवंटित धनराशि का राज्यवार ब्यौरा निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 (दिनांक 25.11.2024 की स्थिति के अनुसार)
1	अंडमान एवं निकोबार (यूटी)	0.00	0.00	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	3.12	3.99	6.33	1.10
3	अरुणाचल प्रदेश	0.0	0.05	0.00	0.00
4	असम	5.24	4.37	7.46	2.58
5	बिहार	2.05	1.84	2.25	2.01
6	चंडीगढ़ (यूटी)	0.27	0.00	0.1	0.02
7	छत्तीसगढ़	0.86	1.29	0.68	0.42
8	दादर एवं नागर हवेली (यूटी)	0.2	0.24	0.32	0.00
9	दिल्ली	4.37	3.47	3.95	1.53
10	गोवा	0.0	0.00	0	0.00
11	गुजरात	2.35	2.53	3.11	0.70
12	हरियाणा	1.98	2.03	1.61	0.6
13	हिमाचल प्रदेश	1.29	0.91	1.25	0.31
14	जम्मू एवं कश्मीर	0.46	2.37	2.15	0.84
15	झारखंड	0.19	0.24	0.38	0.79
16	कर्नाटक	7.67	9.00	10.36	1.80
17	केरल	3.62	3.54	5.22	1.40
18	लद्दाख	0.00	0.00	0.00	0.00
19	मध्य प्रदेश	2.84	3.50	5.46	1.87
20	महाराष्ट्र	8.77	9.88	12.81	2.43
21	मणिपुर	7.2	8.00	10.60	2.40
22	मेघालय	0.0	0.25	0.14	0.00
23	मिजोरम	1.95	2.25	3.03	0.49
24	नागालैंड	1.97	1.19	0.91	0.31
25	ओडिशा	10.07	9.31	14.55	4.48
26	पुडुचेरी (यूटी)	0.22	0.43	0.58	0.19
27	पंजाब	1.08	1.01	1.33	1.12
28	राजस्थान	3.74	4.87	9.91	1.04
29	सिक्किम	0.46	0.19	0.28	0.00
30	तमिलनाडु	4.95	5.19	9.03	2.44
31	तेलंगाना	2.32	2.49	3.63	0.51
32	त्रिपुरा	0.08	0.14	0.00	0.00
33	उत्तर प्रदेश	6.09	4.97	9.82	1.11
34	उत्तराखंड	1.28	1.63	1.37	0.66
35	पश्चिम बंगाल	2.43	2.43	4.06	1.35
36	लक्षद्वीप	0.0	0.0	0.0	0.0
	कुल	**89.12**	**93.60**	**132.68**	**34.50**

*****